कोयला क्षेत्र में बेकार मशीनों का बेचा जाना

*182. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कोयला मंत्री 9 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 1793 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न कोयला कंपनियों द्वारा कितनी बेकार मशीनों को वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में बेचा गया और ऐसी कितनी मशीनें शेष पड़ी हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी मशीनों की बिक्री से प्रत्येक कंपनी को कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) इस अवधि के दौरान खरीदी गई नई मशीनों को उपयोग में न लाने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) वर्ष 1993-94 में बेकार घोषित की गई 267 मशीनों में से 19 मशीनों का 1993-94 के दौरान निपटारा (बेचा) गया था और 1994-95 में (फरवरी, 1995 तक) 36 मशीनों को बेच दिया गया है। शेष 212 मशीनें बिक्री किए जाने की प्रक्रिया के अधीन हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 में तथा वर्ष 1994-95 (फरवरी, 1995 तक) बेकार मशीनों की बिक्री किए जाने के लिए कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों द्वारा अर्जित की गई राशि नीचे दर्शायी गई है:—

कंपनी	अर्जित राशि (लाख रुपए में)		
	1993-94	1994-95	जोड़
ई० को लि०	8.18	—	8.18
भा० को० को० लि०	—	—	—
से० को० लि०	10.15	10.80	20.95
के० को० लि०	—	11.72	11.72
सा० ई० को० लि०	16.50	12.64	29.14
म० को० लि०	—	—	—
ना० को० लि०	—	—	—
जोड़:	34.83	35.16	69.99

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान खरीद की गई मशीनों को कोल इंडिया लि० की विभिन्न सहायक कंपनियों द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः नई मशीनों को उपयोग में न लाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

Review of Grain Procurement Policy

*183. SHRI SOM PAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item captioned 'Grain Procurement policy under review' which appeared in the Economic Times of 18th January, 1995;

(b) if so, what decision has been or is being taken in this regard by when the new policy is likely to be announced and implemented; and

(c) what are the salient features and rationale of the new policy?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no change in the existing foodgrains procurement policy.

उद्योगों के बन्द होने की स्थिति में कर्मकारों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को बढ़ाया जाना

*184. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य श्रम मंत्रियों ने उद्योगों के बन्द होने की स्थिति में श्रमिकों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को 15 दिन की मजदूरी से बढ़ाकर 45 दिन की मजदूरी करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य श्रम मंत्रियों के अनुमोदन को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कब तक लागू किया जायेगा?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) से (ग) 6.2.92 को आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के 40 वें सम्मेलन में श्री जी० रामनुजम को अध्यक्षता वाली नए औद्योगिक संबंध विधान संबंधी द्विपक्षीय समिति की सिफारिशों पर और विचार करने के लिए श्रम राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 5 राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन करने का निर्णय लिया गया था। श्रम मंत्रियों के ग्रुप ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सर्वसम्मति से यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि कर्मकारों के लिए

छंटनी संबंधी क्षतिपूर्ति को बंदी के मामले में निरन्तर सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया जाए।

रमामुनम समिति द्वारा की गयी सिफारिशों और विभिन्न मंचों पर हुए विचार-विमर्शों के आधार पर, तथा औद्योगिक पुनर्संरचना संबंधी अंतर-मंत्रालयीन ग्रुप की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् श्रम मंत्रालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रारूपित किए गए हैं।

Treating employment of child labour in hazardous industries as cognizable offence

185. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the National Authority on Elimination of Child Labour has suggested treating employment of child labour in hazardous industries a cognizable offence and giving special powers to executive magistrates to summarily dispose of such cases;

(b) whether the said Authority has also suggested that launching of prosecutions against employers of child labour should be made a precondition for taking up rehabilitation of the concerned children and their families;

(c) if so, what are the details of the recommendations made by the said Authority and how do Government propose to implement each of these recommendations;

(d) what measures are proposed to be adopted by Government for the sustained livelihood and rehabilitation of the concerned children and their families; and

(e) waht is the number of child labour at present employed in each hazardous industry?

THE MINISTER LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) The National Authouity on Elimination of Child Labour has suggested that employment of child labour should be made congnizable offence under the relevent Acts and Executive Magistrates should be specially empowered to dispose of cases pertaining to employment of child labour in a summary manner. The Authority has also suggested that prosecutions should be launched against the offending employers as a pre-condition before taking up rehabilitation work.

(c) and (d) A summary of recommendation/observations made by the Authority including on measures to provide sustained livelihood and rehabilitation of the children and their families is attached as statement (*See* below)

(e) Seperate industry-wise date on the number of child labour engaged in hazardous employments is not maintained.

Statement

CIRCULAR ON "IDENTIFICATION, RELEASE AND REHABILITATION OF CHILD LABOUR"

Summary of recommendations

1. Prohibition of employment of children under 14 Years of age is the essence of various legislative provisions. This central objective has been reinforced further in Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 according to which children under 14 Years of age are not permitted to work in certain hazardous occupations as also in occupations defined and notified as "Hazardous Process" and "dangerous operation" under the Factories Act, 1948.

2. A survey should be conducted under the overall supervision of the District Magistrate in a time bound manner, to identify child labour, the nature of vacations and occupations in which they are employed and also the familes to which they belong.

3. Inspections and investigations must be intensified.

4. The district, block and village level